

2020 का विधेयक संख्यांक 114.

[दि बैंकिंग रेग्यूलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

# बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम,  
1949 का और संशोधन  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ ।

(2) यह धारा 4 जहां तक वह निम्नलिखित से संबंधित है, के सिवाय 26 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा—

(i) प्राथमिक सहकारी बैंक 29 जून, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जाएं ;

(ii) राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक उस तारीख को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परंतु राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

नई धारा 3 का प्रतिस्थापन।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

1949 का 10

अधिनियम का कतिपय सहकारी सोसाइटियों को लागू न होना।

“3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम—

1981 का 61

(क) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी को लागू नहीं होगा; या

(ख) सहकारी समिति को लागू नहीं होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य और मूल कारबार कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना है,

यदि ऐसी सोसाइटी उसके नाम के भाग के रूप में या उसके कारबार के संबन्ध में “बैंक”, “बैंककार” या “बैंककारी” शब्दों का प्रयोग नहीं करती है और बैंक के लेखीवाल के रूप में कार्य नहीं करती है।”।

धारा 45 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 45 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “पुनर्गठन” शब्द के स्थान पर “पुनर्निर्माण” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (3) में, “किन्हीं अन्य लेनदारों” शब्दों के पश्चात् “या किसी ऋण या अग्रिम के प्रदान अथवा किसी साख लिखत में विनिधान करने” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, “अधिस्थगन की अवधि” शब्दों के पश्चात् “या किसी अन्य समय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपधारा (5) के खंड (ड), (झ) और (ञ) में, “अधिस्थगन के आदेश की तारीख” शब्दों के स्थान पर “पुनर्निर्माण या समामेलन” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (6) के खंड (क) में, “समामेलन” शब्द के स्थान पर “पुनर्निर्माण या समामेलन” शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उपधारा (15) में, “कोई समनुषंगी बैंक या” शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 56 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 56 में,—

(क) आरंभिक भाग में, “तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबंध” शब्दों के स्थान पर “तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(iii) “संगम ज्ञापन” या “संगम अनुच्छेद” के प्रति निर्देश का उपविधियों के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ;

(iv) भाग 3 और भाग 3क के सिवाय कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के प्रति निर्देश का ऐसी विधि जिसके अधीन सहकारी बैंक रजिस्ट्रीकृत है, के तत्स्थानी उपबंधों, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ;

(v) “रजिस्ट्रार” या “कंपनी का रजिस्ट्रार” के प्रति निर्देश का ऐसी विधि, जिसके अधीन सहकारी बैंक रजिस्ट्रीकृत है, के अधीन, यथास्थिति “केंद्रीय रजिस्ट्रार” या “सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार” के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ;

(ग) खंड (घ) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (ङ) के उपखंड (i) और उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(ङ) खंड (च) में, इस प्रकार प्रतिस्थापित धारा 7 की उपधारा (2) में,—

(I) खंड (ख) में, “अथवा सहकारी भूमि बंधक बैंकों” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(II) खंड (ग) के उपखंड (ii) में, “या एक सहकारी भूमि बंधक बैंक” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(च) खंड (चि), खंड (चिि) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा ;

(छ) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“12. (1) कोई सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे सहकारी बैंक के किसी सदस्य को या उसके प्रचालन क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों और उसके निर्गमन या अभिदान या अंतरण की ऐसी अधिकतम सीमा, परिसीमा या निर्बंधन के अधीन रहते हुए, जो रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, पब्लिक इश्यू या प्राइवेट श्रेणीकरण द्वारा,—

सहकारी बैंकों द्वारा समादत्त शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गमन और विनियमन ।

(i) अंकित मूल्य या प्रीमियम पर साधारण शेयर या अधिमानी शेयर या विशेष शेयर का निर्गमन कर सकेगा ; और

(ii) कम से कम दस वर्ष की प्रारंभिक या मूल परिपक्वता के साथ अप्रतिभूत डिबेंचरों या बंधपत्रों या वैसी ही अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(i) कोई व्यक्ति, किसी सहकारी बैंक द्वारा उसे निर्गमित शेयरों के अभ्यर्पण के मद्दे भुगतान की मांग करने का हकदार नहीं होगा; और

(ii) कोई सहकारी बैंक, अपनी शेयर पूंजी को, सिवाय उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो रिजर्व

बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, वापस नहीं लेगा या उसे कम नहीं करेगा।”;

(ज) खंड (ठ), खंड (ढ) और खंड (त) का लोप किया जाएगा ;

(झ) खंड (थ) के उपखंड (ii) और उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा ;

(ञ) खंड (द), खंड (दाक) और खंड (धक) का लोप किया जाएगा ;

(ट) खंड (न) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ठ) खंड (प), खंड (फ), खंड (भ), खंड (म), खंड (य) और खंड (यक) का लोप किया जाएगा ;

(ड) खंड (यकक) में,—

(क) इस प्रकार अंतःस्थापित धारा 36ककक में,—

(i) “बहु-राज्य सहकारी बैंक” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “सहकारी बैंक” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु किसी राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी बैंक की दशा में, रिजर्व बैंक, संबद्ध राज्य सरकार के परामर्श से, उसकी टिप्पणों की, यदि कोई हो, ईप्सा करते हुए, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, ऐसा आदेश जारी करेगा।”;

(iii) उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(10) धारा 36ककक के उपबंध सहकारी बैंक को लागू नहीं होंगे।”;

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित धारा 36ककख का लोप किया जाएगा ;

(ढ) खंड (यख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(यख) भाग 2ग का लोप किया जाएगा ;”;

(ण) खंड (यग) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(त) खंड (यख) और खंड (यच) का लोप किया जाएगा ;

(थ) खंड (यछ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(यछ) धारा 49ख में, “केंद्रीय सरकार” के प्रति निर्देश का, उस विधि के अधीन, जिसके अधीन कोई सहकारी बैंक रजिस्ट्रीकृत है, यथास्थिति, “केंद्रीय रजिस्ट्रार” या “सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार” के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ;”;

(द) खंड (यज) का लोप किया जाएगा ;

(ध) खंड (यञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(यञ) धारा 53 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की

जाएगी, अर्थात् :-

“53क. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) की मद (iii) और उपधारा (2), धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (क), धारा 10ख की उपधारा (1क) और धारा 35ख की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंध ऐसी शर्तों, परिसीमाओं या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के वर्ग को या तो साधारणतः या ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे।”;

कतिपय मामलों में सहकारी बैंकों को हट देने की शक्ति।

2020 का  
अध्यादेश सं0 12

5. (1) बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और  
व्यावृत्तियां।

1949 का 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बैंककारी से संबंधित विधि को समेकित और अधिनियमित करने के लिए संशोधित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 3 यह उपबंध करती है कि अधिनियम उसमें विनिर्दिष्ट रीति में और उस विस्तार तक के सिवाय कतिपय सोसाइटियों को लागू नहीं होगा। धारा 45 भारतीय रिजर्व बैंक को किसी बैंककारी कंपनी द्वारा कारबार के निलंबन के लिए और अधिस्थगन के आदेश के दौरान पुनर्निर्माण या समामेलन की स्कीम तैयार करने के लिए सशक्त करती है। उसका भाग 5 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को, धारा 56 में विनिर्दिष्ट कतिपय उपांतरणों के अधीन रहते हुए, सहकारी बैंकों को लागू किए जाने के लिए उपबंध करता है।

2. उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और उचित विनियमन का उपबंध करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे गए थे कि सहकारी बैंकों के कार्यकलाप ऐसे रीति में संचालित किए जाएं जो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से व्यावसायिकता में वृद्धि करके, पूंजी तक पहुंच को समर्थ बनाकर, अभिशासन में सुधार करके और ठोस बैंककारी को सुनिश्चित करके जमाकर्ताओं के हितों की संरक्षा करते हैं। तदुसार, बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोक सभा में 3 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित किया गया था किन्तु यह पारित नहीं हो सका।

3. अधिनियम की धारा 45 में और संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था जिससे रिजर्व बैंक को जनता के हितों, बैंककारी प्रणाली, निक्षेपकर्ताओं की संरक्षा करने के लिए स्कीम बनाने या, प्रथम बार अधिस्थगन का आदेश किए बिना बैंककारी कंपनी के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने में समर्थ बनाया जा सके ताकि वित्तीय प्रणाली में अड़चनों से बचा जा सके।

4. चूंकि कोविड-19 महामारी से उद्भूत होने वाली आर्थिक स्थिति ने सहकारी बैंकों तथा बैंककारी कंपनियों दोनों पर दबाव बढ़ा दिया था, इसलिए, इस संबंध में विधान की तुरन्त आवश्यकता थी। क्योंकि संसद् सत्र में नहीं थी, बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 26 जून, 2020 को प्रख्यापित किया गया था।

5. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020, जो बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 12) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) धारा 3 का प्रतिस्थापन यह उपबंध करने के लिए है कि अधिनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा—

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी ; या

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य और मूल कारबार कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना है,

यदि ऐसी सोसाइटी अपने नाम के भाग के रूप में या अपने कारबार के संबंध में "बैंक", "बैंककार" या "बैंककारी" शब्दों का प्रयोग नहीं करती है और बैंक के

लेखीवान के रूप में कार्य नहीं करती है ;

(ii) अधिस्थगन का पहली बार आदेश करने की आवश्यकता के बिना बैंककारी कंपनी के पुनर्निर्माण या समामेलन के लिए स्कीम तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के लिए उपबंध करके वित्तीय प्रणाली में संभाव्य अड़चनों का समाधान करने के लिए धारा 45 का संशोधन ;

(iii) यह उपबंध करने के लिए धारा 56 का संशोधन करना कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध उसमें विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन रहते हुए सहकारी सोसाइटियों को लागू होंगे ।

6. विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;  
3 सितम्बर, 2020

निर्मला सीतारामन

उपाबंध  
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम संख्यांक  
10) से उद्धरण

अधिनियम का कतिपय दशाओं में सहकारी सोसाइटियों को लागू होना ।

- \* \* \* \* \*
3. इस अधिनियम की कोई बात—
- (क) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी को लागू नहीं होगी ;
- (ख) सहकारी भूमि बंधक बैंक को लागू नहीं होगी ; तथा
- (ग) किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को भाग 5 में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक ही लागू होगी अन्यथा नहीं ।

किसी बैंककारी कंपनी द्वारा कारबार के निलंब के लिए तथा पुनर्गठन या समामेलन की स्कीम तैयार करने के लिए केंद्रीय सरकार से आवेदन करने की रिजर्व बैंक की शक्ति—

- \* \* \* \* \*
45. (1) (3) उपधारा (2) के अधीन या तत्पश्चात् किसी समय केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश में उसके द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों द्वारा जैसा अन्यथा उपबन्धित हो उसके सिवाय बैंककारी कंपनी अधिस्थगन की अवधि के दौरान न तो किन्हीं निक्षेपकर्ताओं को कोई संदाय करेगी और न उन दायित्वों या बाध्यताओं का उन्मोचन करेगी जो उसकी किन्हीं अन्य लेनदारों के प्रति हैं ।

(4) यदि अधिस्थगन की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि—

- (क) लोक हित में ; अथवा
- (ख) निक्षेपकर्ताओं के हितों में ; अथवा
- (ग) बैंककारी कंपनी का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ; अथवा
- (घ) संपूर्ण देश की बैंककारी प्रणाली के हित में, यह आवश्यक है कि—

- (i) बैंककारी कंपनी का पुनर्गठन किया जाए ; अथवा
- (ii) बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्थान के साथ (जिसे इस धारा में “अंतरिती बैंक” कहा गया है) समामेलन किया जाए, तो रिजर्व बैंक उसके लिए एक स्कीम तैयार कर सकेगा ।

(5) पूर्वोक्त स्कीम में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- \* \* \* \* \*
- (ङ) स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसके अथवा, यथास्थिति, अंतरिती बैंक के द्वारा या विरुद्ध ऐसे किन्हीं कार्यों या कार्यवाहियों का चालू रखा जाना जो अधिस्थगन के आदेश की तारीख से ठीक पहले बैंककारी कंपनी के विरुद्ध लंबित हैं ;

(झ) बैंककारी कंपनी के जो कर्मचारी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947



के अर्थ में कर्मकार न होते हुए, स्कीम में विनिर्दिष्टतः उल्लिखित हैं उनको छोड़कर सब कर्मचारियों की सेवाओं या, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर स्वयं उसमें अथवा अंतरिती बैंक में, उसी पारिश्रमिक पर, तथा सेवा संबंधी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बना रहना जो अधिस्थगन आदेश की तारीख से ठीक पहले, यथास्थिति, उनको मिलता था या जो उन पर लागू थीं :

परन्तु स्कीम में एक उपबंध यह होगा कि—

(i) बैंककारी कंपनी उक्त कर्मचारियों को उस तारीख से, जिसको वह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की जाती है, तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पहले-पहले वही पारिश्रमिक दे देगी और सेवा के वैसे ही निबंधन और शर्तें मंजूर कर देगी, जो किसी सदृश बैंककारी कंपनी की तत्समान पंक्ति या दर्जे के कर्मचारियों के संबंध में ऐसे संदाय या मंजूरी के समय लागू होते हैं जिस सदृश बैंककारी कंपनी का उस प्रयोजन के लिए अवधारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा (जिसका इस बारे में अवधारण अन्तिम होगा) :

(ii) अंतरिती बैंक उक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पहले-पहले वही पारिश्रमिक दे देगी और सेवा के वे ही निबंधन और शर्तें मंजूर कर देगी जो अंतरिती बैंक के तत्समान पंक्ति या दर्जे के अन्य कर्मचारियों के संबंध में ऐसे संदाय या मंजूरी के समय लागू होते हैं किंतु इस बात के अधीन रहते हुए कि उक्त कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव अंतरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के जैसा हो या उसके समतुल्य हो :

परन्तु यह और कि यदि प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अधीन किसी मामले में इस बाबत कोई शंका या मतभेद पैदा होता है कि उक्त कर्मचारियों में से किन्हीं की अर्हताएं और अनुभव अंतरिती बैंक के तत्समान पंक्ति या दर्जे के अन्य कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव के जैसे ही या उसके समतुल्य हैं या नहीं तो वह शंका या मतभेद, उस खंड में उल्लिखित संदाय या मंजूरी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ज) खंड (झ) में किसी बात के होते हुए भी जहां बैंककारी कंपनी के कर्मचारियों में से कोई औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ में कर्मकार न होते हुए खंड (झ) के अधीन स्कीम में विनिर्दिष्टतः उल्लिखित है अथवा जहां बैंककारी कंपनी के किन्हीं कर्मचारियों ने उस तारीख से, जिसको वह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई है, ठीक आगामी एक मास के अवसान के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या अंतरिती बैंक को लिखित सूचना द्वारा अपने इस आशय से अवगत करा दिया है कि वे बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसके या, यथास्थिति, अंतरिती बैंक के कर्मचारी नहीं बनना चाहते हैं वहां यदि ऐसे कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन किसी प्रतिकर के हकदार हैं तो उन्हें उस प्रतिकर का, यदि कुछ हो, तथा ऐसी पेंशन, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य निवृत्ति फायदे का संदाय जो मामूली तौर पर उन्हें अधिस्थगन की तारीख से ठीक पहले बैंककारी कंपनी के

नियमों या प्राधिकरणों के अधीन अनुज्ञेय थे;

\* \* \* \* \*

(6) (क) रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई स्कीम की एक प्रति प्रारूप के तौर पर उस बैंककारी कंपनी को, तथा अंतरिती बैंक और किसी अन्य बैंककारी कंपनी को भी, जो समामेलन से संबंधित हो, भेजी जाएगी जिससे वे इतनी अवधि के अंदर, जितनी रिजर्व बैंक इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे अपने सुझाव और आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सके;

\* \* \* \* \*

(15) इस धारा में “बैंककारी संस्था” से कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा कोई समनुषंगी बैंक या तत्स्थानी नया बैंक है ।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा में किसी कर्मचारी को लागू होने वाले सेवा के निबंधनों और शर्तों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उनका विस्तार ऐसे कर्मचारी की पंक्ति और प्रास्थिति पर भी है ।

\* \* \* \* \*

## भाग 5

### अधिनियम का सहकारी बैंकों को लागू होना

अधिनियम का परिवर्तनों सहित सहकारी सोसाइटियों को लागू होना ।

56. तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित परिवर्तनों सहित, सहकारी सोसाइटियों को या उनके संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे बैंककारी कंपनियों को या उनके संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में सर्वत्र—

\* \* \* \* \*

(ii) “इस अधिनियम के प्रारंभ” के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं ;

1965 का 23

\* \* \* \* \*

(घ) धारा 5क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अधिनियम का उपविधियों आदि पर अध्यारोही होना ।

“5क. (1) इस अधिनियम के उपबंध किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में, अथवा उसके द्वारा निष्पादित किसी करार में अथवा उसके द्वारा साधारण अधिवेशन में या उसके निदेशक बोर्ड द्वारा किसी अन्य निकाय द्वारा जिसे उसके कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है, पारित संकल्प में चाहे उसका, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण, निष्पादन या पारण बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 के पूर्व हुआ हो या पश्चात्, उसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

1965 का 23

(2) पूर्वोक्त उपविधियों, करार या संकल्प का कोई भी उपबंध जहां तक वह <sup>3</sup>[इस अधिनियम] के उपबंधों के विरुद्ध है, यथास्थिति, शून्य हो जाएगा या होगा ।” ;

(ड) धारा 6 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में “किंतु किसी कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल का काम इससे अपवर्जित है” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*

(iii) खंड (ड) में “कंपनी” शब्द के पश्चात्, “या सहकारी सोसाइटी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

7. (1) सहकारी बैंक से भिन्न कोई सहकारी सोसाइटी अपने नाम के भाग के रूप में या अपने कारबार के संबंध में “बैंक”, “बैंककार”, या “बैंककारी” शब्दों में से किसी का प्रयोग नहीं करेगी और कोई सहकारी सोसाइटी इन शब्दों में से कम से कम किसी एक का प्रयोग अपने नाम के भाग के रूप में किए बिना भारत में बैंककारी का कारबार नहीं करेगी ।

“बैंक”, “बैंककार”  
या “बैंककारी”  
शब्द का प्रयोग ।

(2) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

\* \* \* \* \*

(ख) ऐसी सहकारी सोसाइटी जो सहकारी बैंकों अथवा सहकारी भूमि बंधक बैंकों के पारस्परिक हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई है ; या

(ग) कोई सहकारी सोसाइटी जो प्राथमिक उधार सोसाइटी नहीं है और जो—

\* \* \* \* \*

(ii) किसी सहकारी बैंक या प्राथमिक उधार सोसाइटी या सहकारी भूमि बंधक बैंक के, कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है, जहां तक “बैंक”, “बैंककार” या “बैंककारी” शब्द, यथास्थिति, नियोजक बैंक या उस बैंक के नाम के भागरूप में प्रतीत होते हैं जिसका नियोजक बैंक समनुषंगी है ।’

(चि) धारा 8 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह धारा—

(क) पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे कारबार को लागू नहीं होगी जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 42 के खंड (iii) के प्रारंभ पर संव्यवहार के अनुक्रम में था, किंतु उक्त कारबार ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाए, या

(ख) ऐसे कारबार को लागू नहीं होगी जो धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट किया गया है ।” ;

(चिि) धारा 9 के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि ऐसी प्राथमिक उधार सोसाइटी की दशा में जो

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 42 के खंड (iii) के प्रारंभ के पश्चात् प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है, सात वर्ष की अवधि उस दिन से प्रारंभ होगी जिसको वह इस प्रकार प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है :

परंतु यह और भी कि रिजर्व बैंक, किसी विशिष्ट मामले में सात वर्ष की पूर्वोक्त अवधि को, ऐसी अवधि तक जो वह आवश्यक समझे, उस दशा में बढ़ा सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी वृद्धि सहकारी बैंक के निक्षेपकर्ता के हित में होगी ।' ;

(छ) धारा 10, 10क, 10 ख, 10खख, 10ग और 10घ का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*

(झ) धारा 12, 12क, 13 और 15 से लेकर 17 तक का लोप किया जाएगा

;

\* \* \* \* \*

(ठ) मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“20. (1) कोई सहकारी बैंक—

(क) कोई उधार या अग्रिम धन अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर न देगा ; और

(ख) अप्रतिभूत उधार या अग्रिम धन निम्नलिखित को नहीं देगा—

(i) अपने निदेशकों में से किसी को, या

(ii) ऐसी फर्मों या प्राइवेट कंपनियों को जिनमें उसके निदेशकों में से कोई भागीदार या प्रबंध अभिकर्ता या प्रत्याभूतिदाता के रूप में हितबद्ध है या व्यष्टियों को उन दशाओं में जिनमें उसके निदेशकों में से कोई प्रत्याभूतिदाता है, या

(iii) ऐसी किसी कंपनी को जिसमें सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष (उस दशा में, जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति नियत अवधि के लिए है) उसके प्रबंध अभिकर्ता के रूप में अथवा जहां कोई प्रबंध अभिकर्ता नहीं है, उसके अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के रूप में हितबद्ध है :

परन्तु खण्ड (ख) की कोई बात ऐसे अप्रतिभूत उधारों या अग्रिम धनों के दिए जाने को लागू न होगी जो—

(क) किसी सहकारी बैंक द्वारा—

(i) सरकार को किए गए प्रदायों या की गई सेवाओं के लिए बिलों मद्दे अथवा सद्भावी वाणिज्यिक या व्यापारिक संचयवहारों से उद्भूत विनिमयपत्रों मद्दे दिए गए हैं, अथवा

(ii) उनके संबंध में दिए गए हैं जिनकी बाबत सहकारी

उधारों और अग्रिम धनों पर निर्वन्धन ।

बैंक को न्यास रसीदें दी गई हैं ;

(ख) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने निदेशकों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सीमाओं के अन्दर तथा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर दिए गए हैं, जो रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की गई हों ।

(2) प्रत्येक सहकारी बैंक रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में और रीति से प्रत्येक मास के लिए एक विवरणी, उस मास के जिससे वह सम्बन्धित है उत्तरवर्ती मास के अन्त से पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें [उन सब मामलों से भिन्न, जिनमें वह सहकारी बैंक अप्रतिभूत उधार और अग्रिम धन देने से उपधारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध है] उन कम्पनियों को उसके द्वारा दिए गए सब अप्रतिभूत उधार और अग्रिम धन दिखाए हुए होंगे, जिनमें उसके निदेशकों में से कोई निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रत्याभूतिदाता के रूप में हितबद्ध है ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दी गई किसी विवरणी की जांच करने पर रिजर्व बैंक को प्रतीत होता है कि उस उपधारा में जिन उधारों या अग्रिम धनों के प्रति निर्देश किया गया है उनमें से कोई ऐसे दिए जा रहे हैं कि वे सहकारी बैंक के निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर हैं तो रिजर्व बैंक लिखित आदेश द्वारा सहकारी बैंक को ऐसे कोई अतिरिक्त उधार या अग्रिम धन देने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा या उनके दिए जाने के संबंध में ऐसे निर्बन्धन लगा सकेगा जैसे वह ठीक समझे और वैसे ही आदेश द्वारा सहकारी बैंक को यह निदेश दे सकेगा कि वह इतने समय के अन्दर, जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, ऐसे उधार या अग्रिम धन क प्रतिसंदाय सुनिश्चित करा ले ।” ;

\* \* \* \* \*

(ढ) धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (घ) में “किसी एक कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि” शब्दों के स्थान पर “किसी एक पक्षकार” शब्द रखे जाएंगे ;

\* \* \* \* \*

(त) धारा 23 में, —

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना कोई सहकारी बैंक नया कारबार का स्थान न खोलेगा और विद्यमान कारबार के स्थान के अवस्थान का अन्तरण उस नगर, नगरी या ग्राम के बाहर न करेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू न होगी—

(क) किसी प्रदर्शनी, सम्मेलन या मेले के अवसर पर अथवा किसी अन्य वैसे ही अवसर पर जनता को बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी नगर, नगरी या ग्राम में जिसके अन्दर सहकारी बैंक का पहले से ही कारबार का स्थान अथवा उसके आस पास एक मास से अनधिक की अवधि के लिए

अस्थायी कारबार का स्थान खोलना ;

(ख) किसी केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर शाखाएं खोलना या उन शाखाओं के अवस्थान का अंतरण करना ।”;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4क) प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न ऐसा कोई सहकारी बैंक, जो इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक की अनुज्ञा की अपेक्षा करता है, अपना आवेदन रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से भेजेगा जो आवेदन के गुणावगुण पर अपनी टीका-टिप्पणी देगा और उसे रिजर्व बैंक को भेजेगा :

परंतु सहकारी बैंक आवेदन की एक अग्रिम प्रति रिजर्व बैंक को सीधे भी भेज सकेगा ।” ;

(थ) धारा 24 में,—

\* \* \* \* \*

(ii) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात् :—

“(2क) कोई अनुसूचित सहकारी बैंक, उस औसत दैनिक अतिशेष के अतिरिक्त जो वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है, या जिसको रखे जाने की अपेक्षा की जाए और प्रत्येक अन्य सहकारी बैंक, उस नकद आरक्षिती के अतिरिक्त, जो वह धारा 18 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है, भारत में ऐसी आस्तियों को रखेगा जिनका मूल्य द्वितीय पूर्ववर्ती पक्ष के अंतिम शुक्रवार को उसकी कुल मांग और समय दायित्वों के चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी प्रतिशतता से कम नहीं होगा जो रिजर्व बैंक समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियां ऐसे रूप और रीति से रखी जाएंगी जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।”

1934 का 2

\* \* \* \* \*

(iv) उपधारा (6) के खंड (क) में, “चौदह दिन” शब्दों के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे ;]

\* \* \* \* \*

(द) धारा 25 का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*

(दांक) धारा 26क में, “बैंककारी कंपनी” शब्दों के स्थान पर “सहकारी बैंक” शब्द रखे जाएंगे ;

\* \* \* \* \*

(धक) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“30. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है

कि लोक हित या सहकारी बैंक या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह किसी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि किन्हीं ऐसे संव्यवहारों या संव्यवहारों के वर्ग के लिए या ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकारी बैंक के लेखाओं की अतिरिक्त संपरीक्षा संचालित की जाएगी और उसी या भिन्न आदेश द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा किए जाने के लिए नियुक्त कर सकेगा और संपरीक्षक ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा तथा ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देगा और उसकी एक प्रति सहकारी बैंक को अद्येषित करेगा ।

(2) रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त संपरीक्षा के व्यय या आनुषंगिक व्यय सहकारी बैंक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षक के पास ऐसी शक्तियां होंगी, वह ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसमें विहित हों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 द्वारा कंपनियों के संपरीक्षकों पर अधिरोपित दायित्वों और शास्तियों के अधीन होगा और साथ ही सहकारी बैंक को स्थापित, गठित या बनाने वाली विधि द्वारा, जहां तक ऐसी विधि के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के विस्तार तक असंगत नहीं हैं, नियुक्त संपरीक्षक, यदि कोई हों, पर अधिरोपित दायित्वों और शास्तियों के अधीन होंगे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आदेश में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कथन करेगा :—

(क) क्या उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण समाधानप्रद रूप में पाया गया है या नहीं ;

(ख) क्या सहकारी बैंक के संव्यवहार, जो उसकी जानकारी में आए हैं, सहकारी बैंक की शक्तियों के भीतर हैं या नहीं ;

(ग) क्या सहकारी बैंक के शाखा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को अपनी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है या नहीं ;

(घ) क्या लाभ और हानि लेखा, ऐसे लेखा के अधीन अवधि के लिए सही अतिशेष या लाभ या हानि दर्शित करते हैं ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिस पर वह विचार करे कि रिजर्व बैंक और सहकारी बैंक के शेयर धारकों की जानकारी में लाना चाहिए ।”

\* \* \* \* \*

(न) धारा 31 में,—

(i) “तीन मास के अंदर” और “तीन मास की” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “छह मास के अंदर” और “छह मास की” शब्द रखे जाएंगे ;

\* \* \* \* \*

(प) 32 से लेकर 34 तक की धाराओं का लोप किया जाएगा ;

(फ) धारा 34क में, उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*

(भ) धारा 35क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में “किसी बैंककारी कंपनी” शब्दों के स्थान पर “किसी सहकारी बैंक के बैंककारी कारोबार” शब्द रखे जाएंगे ;

(म) धारा 35ख का लोप किया जाएगा ;

(य) धारा 36 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) यदि किसी समय उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारी प्रत्यय का ठोस आधारों पर पुनर्गठन या विस्तार करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा और ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं,—

(i) सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड के या उसके द्वारा गठित किसी अन्य निकाय के किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों को देखने के लिए अपने एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकेगा और सहकारी बैंक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐसे अधिवेशनों में सुनवाई का और ऐसे विषयों पर ऐसी राय देने का अवसर दे जो वह अधिकारी, सहकारी प्रत्यय का ठोस आधारों पर पुनर्गठन या विस्तार करने के लिए आवश्यक या उचित समझे और ऐसे अधिकारी से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह ऐसी कार्यवाहियों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजे ;

(ii) अपने एक या अधिक अधिकारियों को सहकारी बैंक या उसके कार्यालयों या शाखाओं के कार्यकलापों की ऐसी रीति का, जिससे उनका संचालन किया जाता है ; संप्रेक्षण करने और उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कर सकेगा ;”

(यक) धारा 36क में—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) धारा 11, धारा 13 और धारा 24 के उपबंध ऐसे सहकारी बैंक को लागू न होंगे जिसे धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया गया है या जिसकी अनुज्ञप्ति उस धारा के अधीन रद्द कर दी गई है, अथवा जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के अथवा इसकी उपलब्धियों में किए गए किसी परिवर्तन के आधार पर निक्षेप स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध या प्रवारित है या कर दिया गया है।”;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—



1965 का 23

“(3) उपधारा (1) और (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सहकारी सोसाइटी, जो बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ पर प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में कारबार चला रही है, अथवा कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी, जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है, इस बात के होते हुए भी कि वह तत्पश्चात् किसी समय धारा 5 के खंड (गगv) में प्राथमिक सहकारी बैंक की परिभाषा की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती, इस अधिनियम के अर्थ में प्राथमिक सहकारी बैंक बनी रहेगी तथा रिजर्व बैंक के अनुमोदन से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बैंककारी कारबार चलाती रहेगी।” ;

‘(यकक) मूल अधिनियम की धारा 36कक के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“36ककक. (1) जहां, रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में या ऐसे बहु-राज्य सहकारी बैंक के क्रियाकलापों को, जो निक्षेपकर्ताओं के या बहु-राज्य सहकारी बैंक के हितों के लिए हानिकर रीति में क्रियाकलाप चला रहा है, निवारित करने के लिए या बहु-राज्य सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां रिजर्व बैंक, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा ऐसे बहु-राज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड को, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी, अधिक्रान्त कर सकेगा तथापि ऐसी कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

बहु-राज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण।

\* \* \* \* \*

(9) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों के निदेशक बोर्ड के गठन के तुरन्त पश्चात् पद रिक्त कर देगा।

36ककख. जहां, कोई बहु-राज्य सहकारी बैंक, जो एक मात्र सहकारी बैंक है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 13क के अधीन, किसी बीमाकृत बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, और तत्पश्चात्—

बहु-राज्य सहकारी बैंक के परिसमापन आदेश का कतिपय मामलों में अन्तिम होना।

1961 का 47

2002 का 39

(क) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तैयार किसी स्कीम के अनुसरण में, समझौता और व्यवस्था या पुनर्गठन या पुनर्निर्माण की स्कीम को मंजूर करते हुए कोई आदेश किया गया है ; या

2002 का 39

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा अध्यपेक्षा पर, बहु-राज्य सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 87 के अधीन आदेश कर दिया गया है ;

(ग) बोर्ड के अधिक्रमण और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश धारा 36 ककक के अधीन किया गया है,

वहां खण्ड (क) के अधीन समझौते और व्यवस्था या पुनर्गठन या

पुनर्निर्माण की स्कीम को मंजूर करने या खण्ड (ख) के अधीन बहु-राज्य सहकारी बैंक का परिसमापन करने का ऐसा आदेश या खंड (ग) के अधीन बोर्ड के अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति का आदेश किसी रीति से प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा ।

\* \* \* \* \*

(यख) भाग 2क, धारा 36ककक, धारा 36ककख, और धारा 36ककग के सिवाय भाग 2ग, धारा 45 की उपधारा (1), (2) और (3) के सिवाय भाग 3 तथा धारा 45ब के सिवाय भाग 3क का लोप किया जाएगा ;

(यग) धारा 46 में—

(i) उपधारा (4) में, खंड (i) के अंत में आने वाले शब्द “या” और खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*

(यघ) धारा 47 में “धारा 36कक की उपधारा (5) या” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*

(यच) धारा 49क में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू न होगी :—

(क) किसी प्राथमिक उधार सोसाइटी को ;

(ख) बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ पर ऐसे निक्षेप स्वीकार करने वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक ; तथा

(ग) सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी बचत बैंक स्कीम को । ” ;

\* \* \* \* \*

(यछ) धारा 49ख और 49ग का लोप किया जाएगा ;

(यज) धारा 50 में, “10”, “12क”, “16”, “35ख” तथा “43क” अंको और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*

(यझ) धारा 52 में,—

(i) उपधारा (2) में “तथा उस प्ररूप के लिए, जिसमें शासकीय समापक ऋणियों की सूचियों को अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में भाग 3 या भाग 3क के अधीन फाइल कर सकेगा तथा उन विशिष्टियों के लिए, जो ऐसी सूचियों में अंतर्विष्ट हो सकेंगी,” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ;

\* \* \* \* \*